



Empanelment of candidates for guest faculties

Applications on plain paper are invited from suitable candidates

for empanelment of Guest faculties in the various teaching

departments. Empanelled candidates can be invited as Guest faculties

subject to the requirement of the Departments. The University


reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in

the panel. Complete application along with relevant documents should

be submitted to the respective Heads of the Departments latest by 31st

July, 2018. For more details please visit the University website

www.bubhopal.ac.in.

REGISTRAR


BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL



(Formerly Bhopal University, Bhopal)
Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

S.No. 1089

Bhopal, Date.. 10/07/2018

EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES

Applications are invited from suitable candidates for empanelment of Guest faculties in the teaching departments. Qualifications as per the norms of the UGC or the Regulatory body as applicable. Remuneration/Payment will be made as per the University rules. The rules approved by the executive council shall be applicable for the empanelment of the candidates.

This advertisement is made for the empanelment and not for appointment. Empanelled candidates, however, can be invited as Guest faculties subject to the requirements of the Department/Institutes. The University reserves the right to engage or not to engage the empanelled candidates as Guest faculties.

Desiring candidates should apply on plain paper along with their complete biodata and supportive attested documents to the respective Heads of the departments (HOD) or Director of the institution in following manner.

S. No.	Subject	Address to	Department/Institutes
1.	Arabic	HOD	Arabic
2.	English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Linguistics	HOD	Comparative Languages and Culture
3.	Persian	HOD	Persian
4.	Commerce	HOD	Commerce
5.	Education (B Ed), Master of Education	HOD	Continuing Education and Extension
6.	Yoga Sciences	HOD	Yoga
7.	Law, English, Hindi, French, Economics, Pol. Sciences, History	HOD	Legal Studies and Research
8.	Biotechnology, Bioinformatics	HOD	Biotechnology

REGISTRAR

Complete applications must reach on or before 31st July 2018 by 4:00 pm. Separate application should be made for each department.

9.	Biochemistry, Genetics	HOD	Biochemistry, Genetics
10.	Bioscience	HOD	Bioscience
11.	Environmental Science, Limnology	HOD	Environmental Science, Limnology
12.	Microbiology	HOD	Microbiology
13.	Applied Aquaculture, Zoology	HOD	Applied Aquaculture, Zoology
14.	Physical Education	HOD	Physical Education
15.	Computer Science, Information Technology	HOD	Computer Science & Application
16.	Earth Science, Geo Information Remote Sensing	HOD	Earth Science
17.	Electronics	HOD	Electronics
18.	Physics	HOD	Physics
19.	Psychology	HOD	Psychology
20.	Economics, Geography	HOD	Economics, Geography
21.	Sociology, Social Work	HOD	Sociology
22.	Women Studies	HOD	Women Studies
23.	Management (MBA)	HOD	C.R. Institute of Management
24.	Pharmacy	HOD	Pharmacy
25.	Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Electronics & Communication, Information Technology, Mechanical Engineering, Computer Application, Material Sciences, Nanotechnology, Digital Technology, Product Design & Engg., Microwave and Millimeter waves, Applied Physics, Applied Chemistry, Industrial Mathematics, Mathematics	Dir.	University Institute of Technology

3.2 पैल तैयार करवे के लिये समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा :-

(1) विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक - अध्यक्ष

(2) शकायग्रहण - सदस्य

(3) विभाग/शकाय/विधि का एक शिक्षक - सदस्य

4. अर्थात् के माध्यम

4.1 सामान्यतः यू.जी.सी. वई दिल्ली द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्थात् अधिवि विभाग के लिये लागू होती ।

4.2 पैल बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनर के आधार पर होगी वरिष्ठता विभागाध्यक्ष द्वारा होगी ।

(अ) (1) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा

वेतन/सेट उपाधि ।

(2) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा

वेतन/सेट उपाधि ।

(3) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा यू.जी.सी. विभाग 2009/यू.जी.सी. अधिसूचना विभाग 04 मई 2016 (पारत का शायद विभाग 20 अई 2016) के अधिसूचार पीएच.डी. उपाधि ।

(ब) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएच.डी. उपाधि

(3) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएच.डी. उपाधि

(3) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.3 (अ) अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.4 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.5 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.6 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.7 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.8 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.9 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.10 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.11 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.12 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.13 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.14 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.15 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.16 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.17 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.18 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.19 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.20 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.21 अधिवि विभाग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

6.3 आरक्षण की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.ि. द्वारा स्वयं-समय पर पुनर्निर्धारण कर के अर्जित मार्ग होगी ।
 6.4 आरक्षित विद्यार्थी को वि.ि. के विद्यार्थियों के बराबर अलावा (conveyance Allowance) देना होगा ।

7. विनियम
 7.1 अलावा स्वयं से पैसल पैसल जैसे जाने तक विभागाध्यक्ष/निदेशक/समानवकक वाले वि.ि. कुलपति/वि.ि. से अर्जित/निदेशक/समानवकक वाले वि.ि. पर सकते हैं ।

II. आरक्षित विद्यार्थी
 1. विद्यार्थियों/स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. पाठ्यक्रमों के लिए 'शोध कार्य भी संशोधित' है। अतः विषय के विशिष्टकरण (Specialization) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष/निदेशक/समानवकक/अध्यक्ष कुलपति/वि.ि. के अर्जित/निदेशक/समानवकक वाले वि.ि. के अलावा संशोधित विद्यार्थी/विद्यार्थी को आरक्षित विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी में व्यवस्थापित करने आवश्यक है ।

2. आरक्षित विद्यार्थी/विद्यार्थी को प्रति वर्ष/वर्षानुसार देय राशि 1000/- आरक्षण देय होगा, साथ ही विद्यार्थियों को प्रति वर्ष/वर्षानुसार देय राशि भी देनी होगी ।
 3. आरक्षण की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.ि. द्वारा स्वयं-समय पर पुनर्निर्धारण कर के अर्जित मार्ग होगी ।

III. विशिष्ट विद्यार्थी

1. 'कम, विद्यार्थियों', एवं 'स्नातक' - दोनों को जोड़ते हुए विद्यार्थियों/वि.ि. द्वारा एक साथ पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। विद्यार्थी एवं विद्यार्थी का समय कुलपति/वि.ि. के अलावा एवं अर्जित/वि.ि. के अलावा ही देना आवश्यक है ।

2. विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए आरक्षित विद्यार्थी को प्रति वर्ष/वर्षानुसार देय राशि 5000/- आरक्षण देय होगा ।
 3. आरक्षित विद्यार्थी को प्रति वर्ष/वर्षानुसार देय राशि 5000/- आरक्षण देय होगा ।
 4. आरक्षण की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.ि. द्वारा स्वयं-समय पर पुनर्निर्धारण कर के अर्जित मार्ग होगी ।

कुलपति
 उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय, गोरखपुर